



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-सा.-26122020-223930  
CG-DL-W-26122020-223930

साप्ताहिक/WEEKLY  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 52] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 26, 2020—जनवरी 1, 2021 (पौष 5, 1942)

No. 52] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 26, 2020—JANUARY 1, 2021 (PAUSA 5, 1942)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

### विषय-सूची

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | पृष्ठ सं. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | पृष्ठ सं. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| भाग I—खण्ड-1—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                      | 843       | छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *         |
| भाग I—खण्ड-2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                    | 889       | भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (iii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (जिसमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... | *         |
| भाग I—खण्ड-3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                                                                           | 7         | भाग II—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *         |
| भाग I—खण्ड-4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                                            | 1925      | भाग III—खण्ड-1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखापरीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                      | 1495      |
| भाग II—खण्ड-1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | *         | भाग III—खण्ड-2—पेटेंट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेंटों और डिजाइनों से सम्बन्धित अधिसूचनाएं और नोटिस.....                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *         |
| भाग II—खण्ड-1क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ.....                                                                                                                                                                                                                                                                                               | *         | भाग III—खण्ड-3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *         |
| भाग II—खण्ड-2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | *         | भाग III—खण्ड-4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं.....                                                                                                                                                                                                                                                                   | 365       |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (i)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं).....                                                                                                                      | *         | भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1715      |
| भाग II—खण्ड-3—उप खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी प्राधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)..... | *         | भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दर्शाने वाला सम्पूर्णक.....                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | *         |

\*आंकड़े प्राप्त नहीं हुए।

## CONTENTS

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Page<br>No. |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Page<br>No. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....                                                                        | 843         | by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | *           |
| PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court .....                                                                       | 889         | PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than Administration of Union Territories) ..... | *           |
| PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence.....                                                                                                                                                                             | 7           | PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | *           |
| PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence .....                                                                                                                                                       | 1925        | PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India .....                                                                                                                                                                                 | 1495        |
| PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations .....                                                                                                                                                                                                                                           | *           | PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | *           |
| PART II—SECTION 1A—Authoritative texts in Hindi language, of Acts, Ordinances and Regulations .....                                                                                                                                                                                                | *           | PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *           |
| PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills .....                                                                                                                                                                                                                         | *           | PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies .....                                                                                                                                                                                                                                                                               | 365         |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministry of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) ..... | *           | PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1715        |
| PART II—SECTION 3—SUB-SECTION (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and                                                                                                                                 |             | PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi .....                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | *           |

\*Folios not received.

**भाग I—खण्ड 1****[PART I—SECTION 1]**

**[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों, आदेशों तथा संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं]**

**[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]**

गृह मंत्रालय

(राजभाषा विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 10 दिसम्बर 2020

शुद्धि पत्र

विषय—केंद्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान/हिंदी शिक्षण योजना के संवर्गों की समीक्षा – अनुमोदित पदों का विवरण ।

सं. 14034/3/2016-रा.भा.(प्रशि.)—भारत का राजपत्र साप्ताहिक सं. 43 अक्टूबर 24-अक्टूबर 30, 2020 के भाग-I, खंड-1 में प्रकाशित गृह मंत्रालय, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली, दिनांक 29 सितम्बर, 2020 की अधिसूचना के हिंदी संस्करण के पैरा-3 लिपिकीय संवर्ग के टेबल के कॉलम 1 की पंक्ति-7 में “एम.एस.टी” की जगह “एम.टी.एस” , पैरा-4 आशुलिपिक संवर्ग में निजी सचिव के कॉलम-4 में 01 +01 के स्थान पर 01 (+01) तथा पंक्ति-3 एवं पंक्ति-4 के कॉलम-1 “आशुलिपिक ग्रेड1-”, “आशुलिपिक ग्रेड2-” के स्थान पर “आशुलिपिक ग्रेड-1”, “आशुलिपिक ग्रेड-2” पढ़ा जाए ।

2. अंग्रेजी संस्करण पैरा-1 की दूसरी पंक्ति में “Central Review” के स्थान पर “Cadre Review”, पैरा-2 की टेबल में Joint Director (Language) के कॉलम-4 में “)07+06)” के स्थान पर “07 (+06)”, और पैरा-4 Stenography Cadre के टेबल में “Personal Assistant” की जगह “Personal Secretary” तथा कॉलम-4 में “)01+01)” के स्थान पर “01 (+01)” पढ़ा जाए ।

मीनाक्षी जौली  
संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS  
(DEPARTMENT OF OFFICIAL LANGUAGE)

New Delhi, the 10th December 2020

CORRIGENDUM

Subject: Cadre review of Central Hindi Training Institute/Hindi Teaching Scheme : Details of approved posts.

No-2016/3/14034.OL(Trg.—In the notification of the Government of India, in the Ministry of Home Affairs, Department of Official Language, dated October 24- October 30, 2020 published in the Gazette of India, Weekly, Part-I, Section-1 vide number 43 dated 29 September, 2020 in the Hindi version may read “M.T.S.” in place of “M.S.T.”, in Para-3 Clerical Cadre of column-1, Line-7, 01(+01) in place of 01+01) in Column-4 of Private Secretary in Stenographer cadre Para-4 and Line-3 and Line-4 of column-1 may read “Stenographer Grade-1”, “Stenographer Grade-2” in place of Stenographer Grade1-, Stenographer Grade2-.

2. Similarly in English version in the second line of Para-1 may read “Cadre Reivew” in place of “Central Review”, in column-4 of Joint Director (Language) in the table of Para-2 may read “07(+06)” in place of “07+06)” and “Personal Secretary” in place of “Personal Assistant” in the table of Stenography Cadre Para-4, and may read “01(+01)” in place of “)01+01)” in column-4.

MEENAKSHI JOLLY  
Joint Secretary